194

भारत का विधि आयोग

स्टांप–शुल्कों का सत्यापन
तथा
माध्यस्थम् पंचाटों का रजिस्ट्रीकरण

विषय पर

194वीं रिपोर्ट

जून 2005

न्यायाधिपति
एम. जगन्नाथन राव
अध्यक्ष

सत्यमेव जयते

भारत का विधि आयोग
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110 001.
फोन : 23384475
फैक्स: 23388870
23073664
ई–मेल : ch,lc@ab.nic.in
निवास :
1, जनपथ, नई दिल्ली–1
फोन : 23019465

अ.शा.सं. 6(3)108/ 2005–एल सी (एल. एस.)

7 जून, 2005

प्रिय श्री भारद्वाज,

'स्टांप–शुल्कों का सत्यापन तथा माध्यस्थम् पंचाटों का रजिस्ट्रीकरण' विषय पर भारत के विधि आयोग की 194वीं रिपोर्ट भेजते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है।

ओ. पी. डी. 27597/ 02 दिनांक 17.12.2003 (30.1.2004 को उपांतरित) मद्रास उच्च–न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को विधि आयोग को संसूचित किए जाने तथा उसमें इस उल्लेख के परिणाम स्वरूप कि विधि आयोग एक विधायी संशोधन पर विचार करे, आयोगने उक्त विषय को स्वप्रेरणा से विचार में लिया है।

हम कहना चाहते हैं कि नए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31(5) में उल्लेख है कि माध्यस्थम् अधिकरण को माध्यस्थम् पंचाट की 'हस्ताक्षरित' प्रति पक्षकारों को देनी होगी। तत्पश्चात्, पक्षकारों को धारा 34 (1) के अंतर्गत, पंचाट को अपास्त करने के लिए या धारा 36 के अधीन, पंचाट को प्रवर्तित कराने के लिए माध्यस्थम् पंचाट की उसे प्रति के साथ जो उसे दी गई है, आवेदन करने का हक़ होगा। उक्त आवेदनों के साथ पंचाट की प्रति मात्र लगाने से न्यायालय यह नहीं जान पाएगा कि मूल पंचाट पर सम्यक् रूप से स्टांप लगे हैं या नहीं अथवा, जहां जहां पंचाट का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, पंचाट सम्यक्रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं। मद्रास उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में यह टिप्पणी करते हुए कि एक विधायी संशोधन आवश्यक है, एक अंतरिम कार्यकारी हल निकाला है जिसके अंतर्गत रजिस्ट्री पक्षकार को निर्देश दे सकती थी कि वह धारा 34(1) अथवा धारा 36 को अधीन आवेदन के साथ अपेक्षित मूल्य के नए स्टांप पेपर अपेक्षित स्टांप शुल्क के बराबर धन जमा करें, और यदि न्यायालय को पता लगता है कि मूल पंचाट पर सम्यक् स्टांप शुल्क लगा है तो आवेदक को उसका प्रतिदाय प्राप्त करने का अधिकार होगा। हमारी दृष्टि में यह हल संतोषपूर्ण नहीं है क्योंकि इससे पक्षकारों को वहां गंभीर कठिनाई

पैदा हो सकती है जहां स्टांप–शुल्क की रकम बड़ी है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय द्वारा सुझाया गया उक्त हल रजिस्ट्रीकरण संबंधी समस्या का समाधान नहीं करता है। स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 35 के अंतर्गत, ऐसा पंचाट जो स्टांपित नहीं हैं या जिस पर पर्याप्त स्टांप नहीं है किसी भी प्रयोजन के लिए अग्राध्य है तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अधीन किसी ऐसे पंचाट का जो उस धारा में उल्लिखित रीति से किसी अचल संपत्ति पर प्रभाव डालता है, रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है और यदि उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है तो वह अविधिमान्य होगा। 1940 के अधिनियम के अंतर्गत, मूल पंचाट के सत्यापन की समस्या नहीं थी क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 14(2) में यह अपेक्षा की गई थी कि न्यायालय में मूल पंचाट दाखिल किया जाए। अतः न्यायालय यह सत्यापन कर सकती थी कि मूल पंचाट सम्यक्रूप से स्टांपित था या नहीं तथा, जहां उसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य था वहां, वह सम्यक्रूप से रजिस्ट्रीकृत था या नहीं।

आयोग ने, वर्तमान रिपोर्ट में, अनेक वैकल्पिक समाधानों पर विचार किया है और उनके लाभों और हानियों की तुलना की है। आयोग को समाधान (3) और (5) (जिनका उल्लेख अध्याय 5 में है) स्वीकार करने योग्य लगे हैं। समाधान (3) अपेक्षा करता है कि मूल पंचाट न्यायालय में फाइल किया जाए जैसाकि पुराने अधिनियम की धारा 14(2) में था। समाधान (5) में अपेक्षा है कि माध्यस्थम् अधिकरण पंचाट की फोटो प्रति पर (जो पक्षकारों को भेजी गई हो) यह पृष्टांकन करे कि मूल पंचाट सम्यक्रूप से स्टांपित है या नहीं (तथा संदत्त स्टांप–शुल्क के मूल्य का उल्लेख करे) तथा (जहां पंचाट का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है) यह उल्लेख करे कि मूल पंचाट सम्यक्रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं। आयोग की राय में, इन दोनों समाधानों में से कोई भी मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इंगित समस्या को, जिस समस्या का सामना हर न्यायालय को धारा 34(1) या धारा 36 के अंतर्गत आवेदन फाइल लिये जाने के समय करना पड़ रहा है, हल कर सकता है। प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप भी संलग्न है।

सादर,

भवदीय

हस्ता0

(न्या. एम. जगन्नाथन राव)

श्री एच. आर. भारद्वाज
विधि और न्याय के संघ मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली.

अनुक्रमाणिका

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	भूमिका	
2	माध्यस्थम् पंचाटों पर स्टांप–शुल्क तथा पंचाटों के रजिस्ट्रीकरण के बारे में उठने वाले प्रश्न	
3	मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया अंतरिम कार्यकारी समाधान	
4	विभिन्न समाधानों की तुलना और हमारी सिफारिशें	
5	उपाबंध	

अध्याय–1

भूमिका

1.1 प्रारम्भिक :

इस रिपोर्ट का विषय अर्थात 'स्टाम्प शुल्कों का सत्यापन तथा माध्यस्थम् पंचाटों का रजिस्ट्रीकरण', विधि आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में तारीख 17.12.2003 के (30.1.2004 को उपान्तरित) **कमिश्नर कारपोरेशन चैन्नई बनाम के. रामदास एण्ड कम्पनी** (ओ.पी.डी. संख्या 27597/02) के निर्णय के अनुसरण में उठाया गया है, जो निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (प्रबन्ध) ने अपने आर. ओ.सी. 517/2004, ओ.एस., तारीख 17.2.2004 के अन्तर्गत आयोग को भेजा था। उच्च न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में विधि आयोग से निवेदन किया था कि निर्णय में प्रस्तावित संशोधन पर विचार करे।

1.2 न्यायालय में मूल पंचाट दाखिल नहीं करने का परिणाम :

माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पंचाट दिये जाने के पश्चात्, यह प्रश्न उठता है कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात नया अधिनियम कहा गया है) के अधीन दिया गया मूल माध्यस्थम् पंचाट सम्यक् रूप से स्टांपित या सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं। यह प्रश्न क्यों उठता है उसका कारण यह है कि 1996 के अधिनियम में यह अपेक्षा नहीं की गई है कि मूल पंचाट न्यायालय में दाखिल किया जाये। अधिनिम की धारा 31(5) में केवल यह कहा गया है कि माध्यस्थम् अधिकरण मूल माध्यस्थम् पंचाट की 'हस्तलिखित प्रति' पक्षकारों को देगी। ऐसा कोई उपबन्ध नये अधिनियम में नहीं है जिसमें कहा गया हो कि मूल पंचाट न्यायालय में दाखिल किया जाये और न किसी उपबन्ध में यह कहा गया

है कि माध्यस्थम् अधिकरण को उसके द्वारा दिये गये मूल पंचाट की बावत क्या करना चाहिए। अनेक मध्यस्थों को यह कठिनाई हो रही है कि मूल पंचाट का तथा माध्यस्थम् कागजों का, जिनके अन्तर्गत मौखिक और लिखित साक्ष्य के दस्तावेज भी आते हैं, क्या करें।

वर्तमान स्थिति में, यदि पक्षकारों को केवल पंचाट की हस्ताक्षर की गई प्रति ही दी जाती है और उसे पानेवाला पक्षकार न्यायालय पंचाट अपास्त करने के लिए नये अधिनियम की धारा 34(1) के अन्तर्गत आवेदन देना चाहता है अथवा कोई पक्षकार पंचाट के प्रवर्त्तन के लिए न्यायालय में आवेदन देना चाहता है तो उक्त न्यायालय यह जानने की स्थिति में नहीं होता कि मूल पंचाट सम्यक् रूप से स्टांपित या रजिस्ट्रीकृत है या नहीं। मद्रास उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में यह अधिनिर्णीत किया गया था कि ऐसी परिस्थितियों में जहाँ न्यायालय निश्चित नहीं है कि पंचाट को सम्यक् रूप से स्टाम्पित किया गया है या नहीं—वहाँ न्यायालय आवेदक को यह निर्देश दे सकता था कि वह आवश्यक स्टाम्प पेपर या उनके मूल्य के समतुल्य रकम आवेदन के साथ न्यायालय में जमा करें जिससे कि यदि बाद में पता लगे कि स्टाम्प शुल्क दे दिया गया था तो न्यायालय स्टाम्प पेपर वापिस कर दे या रकम लौटा दे। तथापि, हमारी दृष्टि में, ऐसा उपाय पक्षकारों को गम्भीर असुविधा तथा कठिनाई उत्पन्न कर सकता था यदि पंचाट पर देय स्टाम्प शुल्क की रकम बहुत बड़ी है। इन आवेदनों के प्रक्रम पर, न्यायालय के लिए यह अवधारणा करना सम्भव नहीं है कि वहां जहां पंचाट को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण किया गया है या नहीं।

1.3 माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत स्थिति

यह उल्लेखनीय है कि माध्यस्थम् अधिनियम्, 1940 के अन्तर्गत ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी क्योंकि उस अधिनियम की धारा 14(2) के अन्तर्गत मूल पंचाट न्यायालय में दाखिल करना पड़ता था जिससे कि पंचाट

के आधार पर डिगरी पारित की जा सके। किन्तु, नये अधिनियम के अधीन, पंचाट, उसे अपास्त करने के लिए आवेदन देने की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात्, डिगरी के रूप में सीधे ही प्रवर्त्तनीय हो जाता है। इस प्रकार से, 1940 के अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय को मूल पंचाट की जाँच करने और सत्यापन करने में कोई कठिनाई नहीं थी किन्तु नये अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये पंचाटो की बावत कठिनाई केवल इस कारण से पैदा हो रही है कि माध्यस्थम् अधिकरण से केवल यह अपेक्षित है कि वह पंचाट की हस्ताक्षर की हुई प्रतियाँ पक्षकारों को भेजें।

1.4 हम आगे आने वाले अध्यायों में, माध्यस्थम् पंचाट पर स्टाम्प शुल्क देने और उनका अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण कराने की अपेक्षा से उत्पन्न प्रश्नों पर विस्तार से विचार करेंगे।

अध्याय–2

स्टाम्प शुल्क की अपेक्षा तथा माध्यस्थम् पंचाटों के रजिस्ट्रीकरण से उठने वाले प्रश्न :

प्रारम्भिक :

2.1 हम सर्वप्रथम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो माध्यस्थम् पंचाटों की बावत स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित विधियों से उपस्थित हुए हैं। जहाँ तक स्टाम्प शुल्क का सम्बन्ध है, समस्त भारत में माध्यस्थम् पंचाटों की बावत भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 लागू होता है; कुछ राज्यों ने स्टाम्प शुल्क को शासित करने के लिए अपने राज्यों में प्रथक स्टाम्प अधिनियम पारित कर लिए हैं। जहाँ तक पंचाटों के रजिस्ट्रीकरण का सम्बन्ध है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए लागू होता है। कुछ राज्यों में, इस अधिनियम में संक्षिप्त राज्य संशोधन किये गये हैं। स्टाम्प शुल्क की अपेक्षा और मध्यस्थम् पंचाटों के प्रश्नों पर दो प्रथक् शीर्षकों के अन्तर्गत चर्चा की गई है : (क) स्टाम्प शुल्क और (ख) रजिस्ट्रीकरण।

2.2 (क) स्टाम्प शुल्क :

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 (तथा राज्य अधिनियमों के तत्स्थानी उपबन्धों) के अनुसार जिन दस्तावेजों को स्टाम्पित करना आवश्यक है, यदि उन्हें स्टाम्पित नहीं किया जाता अथवा अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित किया जाता है तो वे 'किसी भी प्रयोजन के लिए' साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होंगे। धारा 33 किसी लोक अधिकारी को, जो साक्ष्य दर्ज करने के लिए प्राधिकृत है, समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों को इम्पाउंड करने के

सम्बन्ध में है। उद्ग्रहणीय स्टाम्प शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क न देना अथवा अपर्याप्त शुल्क और दण्ड, धारा 35 में उपबन्धित के अनुसार संग्रह किया जा सकता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची में अनुछेद 12 में, एक विनिर्दिष्ट उपबन्ध है जिसमें माध्यस्थम् पंचाटों पर देय स्टाम्प शुल्क का उल्लेख है। यदि पंचाट पर स्टाम्प नहीं लगाए जाते या लगाए जाते हैं तो स्टाम्प अधिनियम को धारा 33 और 35 आकर्षित होती है।

इस सम्बन्ध में मद्रास उच्च न्यायालय के 17.12.2003 के निर्णय पर (30.1.2004 करे उपान्तरित) का उल्लेख करना उचित होगा जिसकी चर्चा अध्याय–1 में की गई है। कहाँ स्टाम्प शुल्कों के सम्बन्ध में प्रश्न उठा था कि मध्यास्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34(1) के अन्तर्गत आवेदन के साथ जहाँ मध्यास्थम् पंचाट की प्रति दाखिल की जाती है वहाँ उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा उसे इम्पाउन्ड करना न्यायोचित है या नहीं। ऐसा ही प्रश्न तब उठेगा जब पंचाट प्रवर्त्तन के लिए नये अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत किया जाता है।

इसके पहले भी, **मैसर्स विल्सन एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम के.एस. लोक विनायगम** : ए. आई. आर. 1992 मद्रास 100 (1940 के अधिनियम के अन्तर्गत निर्णीत मामले में), मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 की दृष्टि से, पंचाट को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता था और यह निर्देश दिया था कि पंचाट को स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में विहित के अनुसार इम्पाऊन्ड किया जाए। न्यायालय में **रिश्वत दास बनाम बल्लभ दास** उच्चतम न्यायालय के निर्णय : ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 551 का आश्रय लिया था। तत्पश्चात्, उच्च न्यायालयों में नये अधिनियम निर्णमित मामलों में (डी सं.–25215/2001 तथा डी, सं.–6108/2002) में एक दूसरा मत अपनाया कि 1996 का अधिनियम पक्षकारों को मूल पंचाट न्यायालय में दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं करता है। अतः **मैसर्स विल्सन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड** का उपरोक्त सिद्धान्त लागू नहीं होगा।

निर्णयों में विरोध के कारण मामला विभिन्न मतों के समाधान के लिए खण्डपीठ को निर्दिष्ट किया गया। खण्डपीठ ने तारीख 17.12.2003 के अपने निर्णय में यह निष्कर्ष निकाला कि पंचाट की हस्ताक्षर की गई प्रति तथा मूल पंचाट एक वस्तु नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा विनिश्चित **रिखब दास** के मामले में केवल यह निर्णय दिया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा (1940 के अधिनियम के अन्तर्गत) दोषपूर्ण पंचाट को स्टाम्प पेपर पर पुनः लिखने के लिए मध्यस्थों को वापिस करना सही नहीं था और उचित उपाय यह था कि पक्षकारों को दोष को दूर करने के लिए यह कदम उठाने का निर्देश दिया जाता कि वे स्टाम्प शुल्क तथा उस पर दिए जाने वाले दंड का भुगतान करें। वास्तव में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने **श्री निवास राव बनाम, वी. नरसिंह राव** : ए.आई.आर. 1963 आं.प्र. 193 में निर्णय दिया था कि जैसे ही पंचाट पर हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं मध्यस्थ की अधिकारिता समाप्त (फंक्टस आफिसियो) हो जाती है। अतः वे रजिस्ट्रीकरण प्राधकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए पंचाट को स्टाम्प पेपर पर पुनः नहीं लिख सकते हैं।

आन्ध प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्णपीठ ने **एम.एस. वेंकटरत्नम बनाम चेलामइया** : ए. आई.आर. 1967 आं.प्र. 257 (एफ.बी.) में निर्णय दिया था कि यदि मूल पंचाट स्टाम्पित नहीं है और स्टाम्प पेपर पर लिखित पंचाट की प्रतिलिपि मूल पंचाट के साथ दाखिल की जाती है, तो पंचाट की प्रति पर लगाये गये स्टाम्पों को स्टाम्प शुल्क का भुगतान माना जा सकता है ताकि मूल पंचाट को स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत साक्ष्य में ग्रहण किया जाये। न्यायालय ने मूल पंचाट और उसकी प्रतिलिपि को एक ही दस्तावेज माना। आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त मत को उच्चतम न्यायालय में **एम.चेलाम बनाम वेंकटरत्नम** : ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 1121 में स्वीकार किया है।

उच्चतम न्यायालय में **जुपुडी बनाम पुलवरथी** : ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1070 में निर्णय दिया था कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 35, मूल दस्तावेज के सिवाय किसी अन्य दस्तावेज को ग्रहण करना वर्जित करती है तथा द्वितीय साक्ष्य (सैकेंडरी एवीडेंस) को ग्रहण करने का प्रतिषेध करती है और स्टाम्प

अधिनियम की धारा 36, केवल ऐसी दशा में जहाँ स्टाम्प रहित या अपर्याप्त स्टाम्प युक्त मूल दस्तावेज को बिना किसी आपत्ति के साक्ष्य में ग्रहण कर लिया गया हो, धारा 35 द्वारा अधिरोपित वर्जन से इसे मुक्त कर देती है।

मद्रास उच्च न्यायालय, तारीख 17.12.2003 के अपने निर्णय में, इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षर किये गये पंचाट की प्रतिलिपि को प्रतिभाग (काउंटरपार्ट) माना जा सकता था जैसा कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 62 के अन्तर्गत **जयराम अय्यर बनाम रामनाथ अय्यर** (1976 (1) एम.एल.जे. 135) में किया गया था तथा यह भी निर्णय दिया कि प्रतिलिपि उस अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत नहीं आती है, अतः उस पर स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद--25 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। **मद्रास उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि अनु. 25 की दृष्टि से, यदि किसी लिखित का प्रति--भाग साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय को छूट है कि वह मूल को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे किन्तु तब के सिवाय जब लिखित पर ऐसा पृष्ठांकन हो जो यह दर्शाए कि मूल दस्तावेज पर शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।**

उच्च न्यायालय ने यह बताया कि ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पक्षकार पंचाट के प्रवर्त्तन के लिए अर्जेंट आवेदन लगाना आवश्यक समझे और यदि न्यायालय मूल पंचाट प्रस्तुत करने पर जोर देता है तो वहां गंभीर कठिनाई हो सकती है क्योंकि मूल पंचाट आवेदक के पास वास्तव में उपलब्ध नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में इस कठिनाई की क्षतिपूर्ति अवरोध कार्यवाही में भी नहीं हो सकती यदि पंचाट को बाद में अपास्त कर दिया जाता है। यद्यपि 1996 के नए अधिनियम की धारा 36 में कथन है कि यदि पंचाट को अपास्त करने का आवेदन लम्बित है तो पंचाट को प्रवर्त्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, फिर भी यह सम्भव है कि विरोधी पक्षकार यह तर्क दे कि धारा 34 के अन्तर्गत कोई वैध आवेदन नहीं है क्योंकि पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति से प्रकट नहीं होता है कि मूल पंचाट पर अपेक्षित स्टांप है अथवा वह सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है।

इसी प्रकार से, जब नए अधिनियम की धारा के अन्तर्गत आवेदन दिया गया है (हारे हुए पक्षकार द्वारा धारा 34 के अन्तर्गत आवेदन न भी हो), तब हारा हुआ पक्षकार यह तर्क दे सकता है कि पंचाट अप्रवर्त्तनीय है क्योंकि पंचाट की केवल हस्ताक्षरित प्रति ही दाखिल की गई है और या तो मूल पंचाट दाखिल किया जाना चाहिए अथवा इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि मूल पंचाट सम्यक् रूप से स्टांपित और रजिस्ट्रीकृत है।

अतः मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अन्तरिम कामे चलाऊ यह समाधान दिया कि आवेदक को न्यायालय में अपेक्षित स्टांप पेपर जमा करने होंगे या सममूल्य की रकम जमा करनी होगी और मूल पंचाट मंगा लिए जाने या प्रस्तुत किए जाने की दशा में उसे प्रतिदाय का अधिकार होगा। हम अगले अध्याय में इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित उपबन्धों के सन्दर्भ में जो समस्या उठ सकती है उनको ध्यान में रखने हुए हम आगे रजिस्ट्रीकरण विधियों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उल्लेख करेंगे।

2.3 (ख) रजिस्ट्रीकरण :

प्रत्येक गैर वसीयतिय दस्तावेज का, यदि अचल सम्पत्ति का मूल एक सौ रुपये या अधिक हो तथा यदि दस्तावेज कोई अधिकार, स्वतब या हित, चाहे निहित अथवा आकस्मिक, वर्तमान में या भविष्य में सृजित, घोषित, समनुदेषिद, सीमित करता है या उसे समाप्त करता है या ऐसा करने के लिए तात्पर्वित है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अधीन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीयकृत किया जाना चाहिए। ऐसा उपबन्ध अधिनियम की धारा 17(1) (ख) में है। धारा 17(2) छूटों के बारे में है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 'एम. वैंकटरत्नम बनाम एम. चेला मइया : A.I.R. 1967 A.P. 257C (एफ.बी.) में निर्णय दिया था कि 'मध्यास्थम् अधिनियम 1940 लागू हो जाने के पश्चात ऐसे किसी उपबन्ध का अभाव कि पंचाट का

रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है, सम्भवतः इस निष्कर्ष की ओर संकेत करता है कि विधान मंडल ने इस पर विचार किया था कि यदि कोई पंचाट अचल सम्पत्ति पर प्रभाव डालता है तो उसका रजिस्ट्रीयकरण होना चाहिए जैसा कि रजिस्ट्रीकरण की धारा 17(1) (ख) में उपबन्धित है। यह कहना कि किसी पंचाट को प्रर्वत्तनीय बनाने के लिए मध्यास्थम् अधिनियम 1940 की धारा 17 के अधीन न्यायालय के आदेश के रूप में होना आवश्यक है, यह अर्थ नहीं रखा कि विधि की किसी अन्य अपेक्षा की पूर्ति पंचाट को विधि मान्य बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। पूर्ण खण्डपीठ ने निर्णय दिया था कि ऐसे पंचाट का जो अचल सम्पत्ति पर प्रभाव डालता है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) उल्लेखित रूप से रजिस्ट्रीयकृत होना चाहिए, अन्यथा वह अवैधय होगा। न्यायालय ने कहा था कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 तथा मध्यास्थम् अधिनियम, 1940 को एक साथ पढ़ना होगा।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने एम. चेलामइया बनाम एम. वैंकटरत्नम : (A.I.R. 1972 एस.सी. 1121) में की है।

उपरोक्त निर्णयों की पृष्ठभूमि में, जब किसी पंचाट को उसकी हस्ताक्षरित प्रतिलिपि के आधार पर परर्वतय करने के लिए कोई आवेदन दाखिल किया जाता है तब विरोधी पक्षकार को यह चुनौती की छूट है कि तथ्यों को देखते हुए मूल पंचाट का रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है और इस सबूत के अभाव में मूल पंचाट का रजिस्ट्रीकरण हुआ है, निष्पादन आवेदन विचार योग्य नहीं है। न्यायालय के पास इस परक्रम पर यह सत्यापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 (1) (ख) का अनुपालन किया गया है या नहीं।

2.4 निष्कर्ष :

स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 की दृष्टि से, यदि कोई पंचाट जिसको स्टाम्पित अपेक्षित है, स्टाम्पित नहीं किया गया है अथवा अपरियाप्त रूप से स्टाम्पित है तो वह 'सभी परियोजनों' के लिए अग्रहणीय है तथा ऐसा पंचाट जिसका रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित, यदि वह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1) (ख) के अन्तर्गत आता है, और यदि उसे रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है तो वह वैध दस्तावेज नहीं है और उसे ऐसा दस्तावेज नहीं माना जा सकता जो अचल सम्पत्ति को प्रभावित करे।

जब भी मध्यारथम् और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 (1) या धारा 36 के अन्तर्गत आवेदनों में ऐसी समस्या उठती है, न्यायालय के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं होती जिससे वह यह सत्यापित कर सके कि मूल पंचाट सम्यक रूप से स्टाम्पित किया गया है या नहीं। अतः न्यायालय आवेदनों पर नोटिस जारी नहीं कर सकता। यह समस्या नये अधिनियम के अन्तर्गत इस कारण उत्पन्न हुई है कि धारा 31(5) मध्यस्थतों से केवल यह अपेक्षा करती है कि वे पक्षकारों को पंचाट की केवल हस्ताक्षरित प्रति भेजें। 1940 के अधिनियम के अन्तर्गत यह समस्या उत्पन्न नहीं होती थी क्योंकि उस अधिनियम की धारा 14(2) न्यायालय में मूल पंचाट दाखिल करने की अपेक्षा करती थी तथा पक्षकार न्यायालय को ऐसा निर्देश देने के लिए भी आवेदन कर सकते थे कि वह मध्यस्थों को मूल पंचाट न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दे।

यही कारण मद्रास उच्च न्यायालय में 17.12.2003 के अपने निर्णय में (30.1.2004 को उपान्तरित) यह अनुभव किया था यह विधि संशोधन का विषय है और इसे विधि आयोग को निर्दिष्ट किया था। हम अध्याय–3 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तलाश किये गये अन्तरिम कार्यकारी समाधान पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसका उल्लेख पहले कर चुके हैं।

अध्याय–3

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तलाश किया गया अन्तरिम कार्यकारी समाधान

3.1 मद्रास उच्च न्यायालय का प्रथम आदेश तारीख 17.12.2003 :

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ओ.पी.डी. 27597/02 में तारीख 17.12.2003 (30.1.2004 को उपान्तरित) खण्डपीठ के प्रारम्भिक निर्णय में, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, एक अन्तरिम समाधान तलाश किया गया था किन्तु न्यायालय ने स्पष्टतया यह महसूस किया कि विधि संशोधन के रूप में एक स्थायी समाधान सम्भव था। अब हम मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में तलाश किये गये **अन्तरिम कार्यकारी समाधान** के बारे में चर्चा करेंगे।

खण्डपीठ ने अपने 17.12.2003 के प्रारम्भिक निर्णय में यह अवधारित किया था कि रजिस्ट्री को यह स्वतन्त्रता होगी कि जब भी नये अधिनियम की धारा 34(1) के अन्तर्गत कोई आवेदन माध्यास्थम् पंचाट को आपास्त करने के लिए दाखिल किया गया हो या नये अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत कोई आवेदन माध्यस्थम् पंचाट को प्रवृत्त करने के लिए दाखिल कियां जावे जो रजिस्ट्री यह जांच करे कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंचाट की प्रतिलिपि पर इस आशय का पृष्ठांकन है या नहीं कि माध्यस्थम् अधिकरण ने आवश्यक स्टाम्प के लिए थे या नहीं और पंचाट स्टाम्प पेपरों पर था या नहीं और यदि पंचाट पर मध्यास्थम् अधिकरण का ऐसा पृष्ठांकन है तो रजिस्ट्री ऐसे पृष्ठांकन के आधार पर आगे कदम उठाने के लिए स्वतन्त्र होगी तथा धारा 34(1) या धारा 36 के अधीन दाखिल किए गए आवेदनों पर आगे कार्रवाई कर सकेंगी।

उच्च न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया था कि जहां आवेदनों के साथ दाखिल की गई प्रतिलिपि पर ऐसा पृष्ठांकन नहीं है, वहां रजिस्ट्री आवेदन प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह निर्देश देने का हकदार होगी कि वह **उतना आवश्यक स्टाम्प शुल्क दे** (अर्थात् स्टाम्प पेपर दाखिल करे) जो पंचाट पर देय है तथा

रजिस्ट्री आवेदन को फाइल पर इस शर्त पर ले कि आवेदक, दूसरे पक्षकार की उपस्थिति के लिए नियत की गई सुनवाई की प्रथम तारीख से पूर्व न्यायालय का समाधान करे और पंचाट पर आवश्यक स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया गया तथा मूल पंचाट स्टाम्प पेपरों पर लगा दिया गया है, चाहे आवेदन पंचाट को अपस्त करने के लिए है या उसे प्रवर्तित करने के लिए। यदि पक्षकार सुनिश्चित करा देता है कि पंचाट पर आवश्यक स्टाम्प शुल्क का भुगतान करा दिया गया है और मूल पंचाट आवश्यक स्टाम्प पेपरों पर है तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिलिपि पर भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क, यदि कोई है, उस पक्षकार को वापिस कर दिया जाएगा जिसने स्टाम्प शुल्क दिया था (अर्थात् दाखिल किए गए स्टाम्प पेपर लौटा दिए जाएंगे)। यदि पक्षकार, अन्य पक्षकार की उपस्थिति के लिए नियत सुनवाई की प्रथम तारीख से पूर्व, यह सुनिश्चित कराने में असफल रहता है कि पंचाट सम्यक् रूप से स्टांपित है तो आवेदक को स्टांप शुल्क और शास्ति (दंड) के भुगतान के तथा दस्तावेज के इम्पाउंड होने के आवश्यक परिणाम भुगतने होंगे। यदि पक्षकार स्टाम्प शुल्क और शास्ति का न्यायालय द्वारा निश्चित समय में भुगतान नहीं करता तो पंचाट को इम्पाउंड कर दिया जाएगा और परिणामस्वरूप, पंचाट की प्रतिलिपि अभिलेख पर नहीं की जा सकेगी और आवेदन खारिज हो जाएगा। न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यह प्रक्रिया नए अधिनियम की धारा 34 अथवा धारा 36, दोनों के अन्तर्गत दाखिल किए गए आवेदनों की दशा में लागू होगी।

निर्णय के पैरा–25 में मद्रास उच्च न्यायालय ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31(1) में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। न्यायालय का कथन निम्नलिखित प्रकार से है–

"हमारा यह मत है कि यह पता लगाने में कि स्टांप शुल्क लिया गया है या नहीं, उठने वाली कठिनाई को धारा 31(1) में एक साधारण–सा संशोधन करके हल किया जा सकता है।"

धारा 31(1) का विद्यमान उपबंध निम्नलिखित रूप में है–

धारा 31(1) माध्यस्थम् पंचाट लिखित में दिया जाएगा और माध्यस्थमृ अधिकरण के सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।''

मद्रास उच्च न्यायालय का प्रस्ताव है कि वर्तमान धारा 31 (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाए। न्यायालय द्वारा प्रस्तावित उपबन्ध निम्नलिखित है—

''धारा 31(1) माध्यस्थम् पंचाट लिखित में दिया जाएगा, सम्यक् रूप से स्टांपित होगा और माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।''

न्यायालय ने विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि विधि आयोग उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करे और उचित सिफारिशें करे। न्यायालय ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि निर्णय की एक प्रति विधि आयोग को भेजे।

3.2 मद्रास उच्च न्यायालय का द्वितीय आदेश तारीख 30 जनवरी, 2004

न्यायालय ने 30.1.2004 के पश्चात्वर्ती आदेश में यह कहा कि स्टाम्प शुल्क जमा करने (अर्थात् स्टांप पेपर दाखिल करने और बाद में वापिस लेने) के लिए दिया गया उसका पूर्वतर आदेश कठिनाई उत्पन्न कर सकता है और परिणामतः शुल्क वापिस करने की मंजूरी देने में समस्याएं हो सकती हैं यदि अपेक्षित स्टांप पेपर पंचाट के प्रयोजन के लिए न्यायालय में जमा किए जाते हैं। यह समस्या इसलिए उठती है क्योंकि स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 54 में प्रतिदाय लेने के लिए एक पृथक् प्रक्रिया है यदि स्टाम्प पेपरों का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जात जिसके लिए वे क्रय किए गए थे। अतः उच्च न्यायालय ने

तारीख 17.12.2003 के अपने पूर्वतर आदेश में निम्नलिखित आशय का एक छोटा–सा संशोधन कर दिया है जो नकद जमा की अनुमति देता है :

"अतः हम यह स्पष्ट करते हैं कि पक्षकार को छूट है कि वह रजिस्ट्री में या तो आवश्यक स्टाम्प शुल्क का भुगतान करे या **स्टाम्प शुल्क के मूल्य के समतुल्य धनराशि जमा करे** और रजिस्ट्री को भी नकद राशि वसूल करने की स्वतंत्रता होगी।"

यह वह अन्तरिम कार्यकारी समाधान है जो मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया है। किन्तु, न्यायालय ने अनुभव किया समस्त प्रश्न की विधि आयोग जांच करे।

3.3 अगले अध्याय–4 में हम मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त समाधान की और उन समस्याओं की जो उक्त समाधान से अब भी पैदा हो सकती हैं, परीक्षा करेंगे।

अध्याय–4

विभिन्न समाधानों की तुलना और हमारी सिफारिशें

4.1 प्रारम्भिक :

मन अध्याय में हमने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तलाश किए अन्तरिम कार्यकारी समाधान का उल्लेख किया था जो पंचाट पर स्टांप शुल्क के भुगतान तथा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31(1) के संशोधन के प्रारूप से संबंधित है। जैसा पहले कहा गया है, हमारे मतानुसार, स्टाम्प पेपर जमा करने या समतुल्य धनराशि जमा करने का निर्देश देने का समाधान पक्षकारों को गम्भीर समस्या और कठिनाई पैदा कर सकता था।

4.2 सम्भव समाधानों का विश्लेषण और उनके गुणावगुण

इस अध्याय में हम विभिन्न सम्भव समाधानों और उनके तुलनात्मक गुणावगुण की परीक्षा करेंगे। हम विभिन्न सम्भव समाधान बताएंगे और प्रत्येक समाधान के लाभों और कमियों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा नीचे पैदा (1) में दिए गए अन्तरिम समाधान कर विचार करेंगे।

(1) प्रथमतः, मद्रास उच्च न्यायालय का समाधान केवल इस प्रश्न से संबंधित है कि मूल पंचाट 'सम्यक् रूप से स्टांपित' है या नहीं न कि इस प्रश्न से कि पंचाट 'सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत' है या नहीं।

दूसरे, मद्रास उच्च न्यायालय यह अपेक्षा नहीं करता कि पंचाट की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि में, जो पक्षकारों को भेजी गई है, मध्यस्थों का ऐसा पृष्ठांकन, हस्ताक्षरों सहित, है या नहीं कि मूल पंचाट सम्यक् रूप से स्टांपित और रजिस्ट्रीकृत है।

तीसरे, अपेक्षित स्टांप पेपर जमा करने या मूल पंचाट पर देय स्टांप शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान करने के बारे में मद्रास उच्च न्यायालय का मत अनेक मामलों में गम्भीर कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। यदि पक्षकार आवश्यक स्टांप पेपर मध्यस्थ को पहले ही दे चुके हैं ताकि पंचाट स्टांप पेपर पर

लगा दिया जाए, तो उनसे नए स्टांप पेपरों की या समतुल्य धनराशि जमा करने की मांग करना, हमारी राय में, एक अनावश्यक बोझ बन जाएगा। उदाहरण के लिए, ऐसे मामले में जहां पंचाट दिल्ली में 500 करोड़ रुपए के दावे की बावत दिया गया था, पक्षकारों ने 50 लाख रुपए के स्टांप पेपर जमा किए थे और पंचाट ऐसे पेपरों पर वस्तुतः लगा दिया गया था। यदि ऐसे मामले में, मूल पंचाट को मध्यस्थ अपने पास रख लेते हैं और कोई एक पक्षकार 1996 के नए अधिनियम की धारा 34 या धारा 36 के अन्तर्गत आवेदन करता है तो उस पक्षकार को 50 लाख रुपए पुनः जमा करने का निर्देश देने से बड़ी कठिनाई हो जाएगी। अतः, यह अन्तरिम समाधान, अधिकांश मामलों में, कोई सन्तोषपूर्ण समाधान नहीं होगा।

(2) अब हम एक दूसरे समाधान पर विचार करेंगे जो एक से अधिक मूल पंचाट पर हस्ताक्षर करने के बारे में हैं ताकि प्रत्येक को एक–एक मूल पंचाट दिया जा सके।

ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पंचाट पर देय स्टांप शुल्क अधिक न हो और यदि वह ऐसा मामला है जहां पंचाट का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है (उदाहरण के लिए, जहां पंचाट केवल धन की बावत है), पक्षकार एक मूल पंचाट से अधिक के लिए अपेक्षित स्टांप पेपर देने को तैयार हो सकते हैं ताकि एक पक्षकार धारा 34 का आवेदन और दूसरा पक्षकार धारा 36 का आवेदन दाखिल कर सके। अथवा जहां पंचाट अंशतः एक पक्षकार के और अंशतः दूसरे पक्षकार के हक में है और प्रत्येक पक्षकार व्यथित है, तो वे वस्तुतः पृथक् आवेदन, स्टांपित मूल पंचाटों सहित, दाखिल कर सकते हैं।

किन्तु, हमारे मतानुसार, समस्या फिर भी पैदा हो सकती है भले ही एक से अधिक मूल पंचाट क्यों न हों, क्योंकि जैसे ही मूल पंचाटों में से पहले पर स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, यह कहा जा सकता है कि **मध्यस्थ कृत्य शून्य हो गए हैं** और उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया दूसरा पंचाट अविधिमान्य है। यह पता करना वास्तव में कठिन होगा कि दोनों में से कौन–से पंचाट पर पहले हस्ताक्षर किए गए थे। अतः यह समाधान सहायक नहीं है।

(3) एक अन्य समाधान यह हो सकता है कि 1996 के अधिनियम में एक नया उपबन्ध जोड़कर संशोधन कर दिया जाए कि पंचाट देने के पश्चात मूल पंचाट उस न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए जिसकी अधिकारिता में पंचाट दिया गया है, अर्थात्, जैसा कि 1940 के अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता था। हमारी राय में, यह एक संभव समाधान है क्योंकि ऐसी स्थिति में न्यायालय मूल पंचाट न्यायालय के ही कब्जे में होगा और वह यह सत्यापित कर सकेगा कि मध्यस्थों ने स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है या नहीं। इस समाधान पर्याप्त गुण युक्त है।

वास्तव में, नए अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किए अनेक मध्यस्थों ने, जिनमें उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हैं, निम्नलिखित प्रश्न उठाए हैं :

(क) मध्यस्थ कितने दिन तक मूल पंचाट अपने पास रखे रहें, विशेषतः तब जब कोई भी पक्षकार धारा 34 या धारा 36 के अन्तर्गत आवेदन नहीं करता है?

(ख) मध्यस्थ कितने समय तक माध्यस्थम् कार्यवाही के अभिलेख, अभिवाक्, साक्ष्य आदि, अपने पास रखे रहें? और

(ग) मध्यस्थ किस समय प्रकम पर संबंधित पक्षकारों को उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज वापिस कर सकते हैं? पक्षकारों को निश्चय ही मूल हम विलेखों और दस्तावेजों की विभिन्न प्रयोजनों के लिए, उदाहरणार्थ, प्रतिभूति पर ऋण लेने के लिए या संपत्ति को गिरवी रखने या विक्रय करने के लिए, आवश्यकता पड़ सकती है।

इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा यदि नए अधिनियम में यह संशोधन कर दिया जाए कि मूल पंचाट मध्यस्थों द्वारा न्यायालय में दाखिल किया जाएगा।

(4) अब हम एक और संभावित समाधान की चर्चा करेंगे, अर्थात् मूल पंचाट को पक्षकारों को सौंपना। लेकिन तब यह प्रश्न उठता है कि मूल किस पक्षकार का दिया जाए। कई परिस्थितियां हो सकती हैं :

(क) यदि दावा ही खारिज कर दिया जाता है तो मूल पंचाट दावेदार को दिया जा सकता है ताकि वह धारा 34(1) के अधीन आवेदन कर सके। जब दावा खारिज कर दिया जाता है, तब विरोधी पक्षकार की ओर से पंचाट के प्रवर्त्तन के लिए न्यायालय में अर्जी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यहां कोई बड़ी समस्या नहीं है।

(ख) जहां दावेदार के पक्ष में दावा पूर्णतया स्वीकार कर दिया जाए वहां विरोधी पक्षकार पंचाट को अपास्त करने के लिए धारा 34(1) के अधीन आवेदन करने के लिए मूल पंचाट की मांग कर सकता है और सफल पक्षकार पंचाट को प्रवृत्त करने के लिए धारा 36 के अधीन आवेदन करने के लिए मूल पंचाट प्राप्त करना चाहेगा। एक मूल पंचाट होने की दशा में दोनों पक्षकारों के निवेदन मानना संभव नहीं है और मूल पंचाट दोनों को नहीं दिया जा सकता।

(ग) मान लीजिए कि दावा भागतः स्वीकार किया गया है और शेष भाग के लिए खारिज किया गया है। तब भी, जहां तक दावा स्वीकार किया गया है, दावेदार को दो मूल पंचाट चाहिए—एक मूल पंचाट प्रवर्त्तित किए जाने के लिए और दूसरा पंचाट को अपास्त करने के लिए (जहां तक दावा, खारिज किया गया है), और दूसरे पक्षकार को भी एक मूल पंचाट चाहिए, जहां तक दावा स्वीकार किया गया है उसे अपास्त कराने के लिए।

(घ) एक मामला यह भी हो सकता है कि दावा भागतः स्वीकार कर लिया जाए और प्रति–दावा भी भागतः स्वीकार कर लिया जाए। स्थिति वही होगी जो ऊपर खंड (ख) और (ग) में है।

यही अनेक कठिनाइयां इस समाधान से उत्पन्न होती हैं।

(5) एक और भी समाधान यह हो सकता है कि माध्यस्थम् अधिकरण पंचाट की प्रति पर हस्ताक्षर करते समय उस पर यह पृष्ठांकन करे कि मूल पंचाट सम्यक् रूप से स्टांपित और रजिस्ट्रीकृत है—यदि रजिस्ट्रीकरण अनविार्य है। हमारी राय में यह एक अच्छा समाधान है।

4.2 समाधान सं. (3) और (5) की अधिमानता।

इन विभिन्न समाधानों के विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि सर्वोत्तम समाधान समाधान सं. (3) हो सकता है, अर्थात, उपयुक्त अधिकारिता के न्यायालय में मूल पंचाट दाखिल करने के लिए संशोधन, जैसा कि 1940 के पुराने अधिनियम की धारा 14(2) में अधिकथित था, जिससे कि मूल पंचाट न्यायालय के समक्ष हो और वह उसका तब सत्यापन कर सके जब उसके समक्ष धारा 34 या धारा 36 के अन्तर्गत आवेदन किया जाए। यदि यह उपबन्ध भी कर दिया जाए कि उक्त न्यायालय के समक्ष अभिलेख भी दाखिल किया जा सकता है तो मध्यस्थ अभिलेख रखने के भार से मुक्त हो जाएंगे।

दूसरा समाधान समाधान सं.(5) हो सकता है, अर्थात् मूल पंचाट की प्रतिलिपि पर ऐसा पृष्ठांकन कि मूल पंचाट सम्यक् रूप से स्टांपित किया गया है और जहां उसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है वहां, मूल पंचाट रजिस्ट्रीकृत भी किया गया है।

तब, यह तर्क दिया गया है कि समाधान सं. (3) के कारण न्यायालय पर मूल पंचाट और अन्य दस्तावेजों को ग्रहण करने का भार जा जाएगा। इस तर्क का अविलम्ब उत्तर यह हो सकता है कि 1996 के नए अधिनियम में ऐसा संशोधन करने से न्यायालय पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि 1940 के पुराने अधिनियम के अन्तर्गत भी तो यही स्थिति धारा 14(2) के अन्तर्गत थी जहां मूल पंचाट न्यायालय में दाखिल किया जाता था।

अतः, हमारे मतानुसार, समाधान सं. (3) और (5) स्वीकार करने योग्य हैं।

4.4 विधि आयोग की 176वीं रिपोर्ट—एक नई धारा 33(क) जोड़ने का सुझाव :

विधि आयोग की 176वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि 1996 के अकिधनियम में नई धारा जोड़ी जानी चाहिए जो पंचाट की प्रतिलिपि न्यायालय में खारिज करने का उपबंध करे जिससे कि पक्षकार भी प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते थे। यह प्रस्ताव अब नए माध्यस्थम् और सुबह (संशोधन) विधेयक, 2003 (2003 का विधेयक सं. 535) की धारा 33(क) के रूप में सम्मिलित है। विधेयक संसद् की स्थायी समिति के समक्ष है।

(2003 के विधेयक का एक अन्य उपबन्ध धारा 34(1क) के रूप में हैं, अर्थात् पंचाट को अपास्त करने के लिए किए गए आवेदन के साथ मूल पंचाट लगाया जाएगा या यदि पंचाट आवेदक को नहीं दिया गया है तो पंचाट की एक फोटो प्रति मध्यस्थों के हस्ताक्षरों सहित लगाई जाएगी।)

किन्तु वर्तमान रिपोर्ट में हम 176वीं रिपोर्ट में यथावर्णित प्रस्ताव पर, जो 1996 के अधिनियम में एक नई धारा 33क जोड़ने के लिए है, पुनर्विचार नहीं करना चाहते हैं। यहां हमारे समक्ष एक भिन्न समस्या मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 1996 के नए अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों को क्रियान्वित करते हुए लाई गई है जो यह सत्यापन करने के बारे में है कि मूल पंचाट सम्यक् रूप से स्टांपित है या नहीं तथा, वहां जहां उसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, पंचाट रजिस्ट्रीकृत है या नहीं।

यदि ऊपर उल्लिखित विधेयक में सम्मिलित नई धारा 33क का प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है या स्वीकार नहीं किया जाता है तब भी मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान तो तलाश करना ही होगा।

4.5 हमारी सिफारिशें

प्रथम विकल्प

माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की धारा 14 (2) के अनुरूप एक नया उपबन्ध धारा 31(1) जोड़ा जा सकता है सभी समस्याओं का उत्तर होगा।

दूसरा विकल्प

समाधान एक दूसरा विकल्प धारा 31(1) तथा धारा 31(5) में इस आशय का संशोधन करना हो सकता है कि माध्यस्थम् अधिकरण को पंचाट को सम्यक् रूप से स्टांपित करना होगा। इसके अतिरिक्त यह उपबन्ध भी किया जा सकता है कि यदि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(ख) के अधीन, पंचाट का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है तो अधिकरण पंचाट का सम्यक् रजिस्ट्रीकरण भी कराए। यह उपबन्ध भी आवश्यक है कि पंचाट को फोटो–प्रतियां पक्षकारों को इस पृष्ठांकन के साथ भेजी जाएंगी कि पंचाट सम्यक् रूप से स्टांपित है और यदि उसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है तो वह सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, 'सम्यक् से स्टांपित' शब्दों से कुछ सन्देह पैदा हो सकता है और उस न्यायालय के लिए, जिसके समक्ष पक्षकारों ने प्रतिलिपि दाखिल की है, यह पता लगाना कठिन होगा कि वह स्टांप पेपर, जिस पर मूल पंचाट लगाया गया है, प्रवृत्त विधि के अनुसार, पयापत मूल्य का है या नहीं। अतः नए उपबन्ध में यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि माध्यस्थम् अधिकरण उक्त पृष्ठांकन में यह विनिर्दिष्ट करे कि मूल पंचाट पर भुगतान किए गए स्टांप शुल्क का मूल्य कितना है।

हमारी उपरोक्त वैकल्पिक सिफारिश इस रिपोर्ट के साथ संलग्न संशोधन के प्रारूप के रूप में प्रस्तुत है। (उपाबंध देखिए)

4.6 संशोधन के लिए सिफारिशों का सार (दो विकल्प)

(अ) जैसा ऊपर कहा गया है, हम अन्तिम रूप से दो वैकल्पिक संशोधनों की सिफारिश कर रहे हैं। पहला, मूल पंचाट को समुचित अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के लिए है जिससे कि न्यायालय यह सत्यापित कर सके कि पंचाट सम्यक् रूप से स्टांपित है तथा सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, जहां रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है।

यह संशोधन नए अधिनियम की धारा 31(1) में किया जा सकता है और नए अधिनियम की धारा 31(5) को यथावत् छोड़ दिया जाए जिससे कि पक्षकारों को पंचाट की हस्ताक्षर की हुई प्रतियां मिलती हैं।

(आ) **दूसरा विकल्प** धारा 31(1) में इस आशय का संशोधन करना होगा कि पंचाट सम्यक्रूप से स्टांपित किया जाएगा और, यदि उसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है तो, उसका सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। धारा 31(5) में भी संशोधन करना होगा जो पंचाट की हस्ताक्षरित फोटो–प्रतियां पक्षकारों को भेजने से संबंधित है।

धारा 31(5) में इस प्रकार का संशोधन करना होगा कि माध्यस्थम् अधिकरण पंचाट की हस्ताक्षरित फोटो–प्रतियां उन पर ऐसा पृष्ठांकन करके भेजेगा कि मूल पंचाट सम्यक् रूप से स्टांपित है और उस पर कितना स्टांप शुल्क दिया गया है तथा, जहां आवश्यक हो वहां यह पृष्ठांकन भी होगा कि मूल पंचाट सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है।

4.7 हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

हम विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य डॉ. एस. मुर्लीधर द्वारा दिए गए मूल्यवान सहयोग को लेखबद्ध करते हैं।

7 जून, 2005

हस्ताक्षर
(न्या. एम. जगन्नाथ राव)
अध्यक्ष

हस्ताक्षर
(डॉ. के. एन. चतुर्वेदी)
सदस्य–सचिव

<u>उपाबन्ध</u>

दोनों वैकल्पिक सिफारिशों के लिए संशोधनों का प्रारूप निम्नलिखित है :

प्रथम विकल्प : (धारा 31(1) का प्रतिस्थापन)

(1) (क) माध्यास्थम् पंचाट लिखित में दिया जाएगा और पंचाट को सम्यक् रूप से स्टांपित कराने तथा, जहां उसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है वहां, उसका सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकरण कराने के पश्चात् माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(2) माध्यस्थम् समझौते का कोई भी पक्षकार या ऐसे पक्षकार के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि निवेदन करे अथवा यदि न्यायालय ऐसा निदेश दे और जब माध्यस्थम् तथा पंचाट की बावत् फीसों और प्रभारों का तथा पंचाट दाखिल करने के प्रभारों का संदाय कर दिया जाए, माध्यस्थम् अधिकरण पंचाट को, माध्यस्थम कार्यवाही के अभिलेख के साथ, जिसमें ऐसी गवाहियां और दस्तावेज भी हैं जिन्हें अधिकरण के समक्ष लाया गया और साबित किया गया हो, न्यायालय में दाखिल कराएगा, और तदुपरि न्यायालय पंचाट दाखिल करने की सूचना की पक्षकारों को देगा ।''

दूसरा विकल्प

नए अधिनियम की धारा 31(1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा—

(1) माध्यस्थम् पंचाट लिखित में दिया जाएगा और पंचाट को सम्यक् रूप से स्टांपित कराने तथा जहां उसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है वहां, उसका सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकरण कराने के पश्चात्, माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।''

नए अधिनियम की धारा 31(5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा—

"नए अधिनियम की धारा 31(5) माध्यस्थम् पंचाट दिए जाने के पश्चात्, प्रत्येक पक्षकार को उसकी एक हस्ताक्षरित फोटो–प्रति माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्यों द्वारा ऐसे पृष्ठांकन के साथ दी जाएगी कि मूल पंचाट सम्यक् रूप से स्टापित है और उस पर संदत्त स्टांप शुल्क के मूल्य का उल्लेख किया जाएगा, और जहां पंचाट का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है वहां, यह पृष्ठांकन भी किया जाएगा कि पंचाट सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है।"